



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 16.07.2021

1-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा फर्जी पुलिस बन रंगदारी मांगने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4,93000 रूपये, 02 एटीएम कार्ड अलग-2 बैंकों के, 01 फर्जी पुलिस पहचान पत्र, 01 क्रेडिट कार्ड, 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 14.07.2021 को थाना सेक्टर 20 पर एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा फर्जी पुलिस बनकर डरा धमकाकर 5,18,000 रूपये रंगदारी ले लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 862/2021 धारा 386/506/170 भादवि पंजीकृत कराया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 15.07.2021 को अभियुक्त मोसिन खान पुत्र जफरी खान निवासी म0न0 199 ग्राम बादशाहपुर थाना खेडी कला जिला फरीदाबाद हरियाणा को सेक्टर 18 नोएडा मल्टी लेवल पार्किंग कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चिकित्सक से प्राप्त रकम में से 4,93000/- रूपये व एक फर्जी पुलिस पहचान पत्र, 02 एटीएम कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 02 मोबाइल सैमसंग कम्पनी के टच स्क्रीन बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण:

मोसिन खान पुत्र जफरी खान निवासी म0न0- 199 ग्राम बादशाहपुर थाना खेडी कला जिला फरीदाबाद हरियाणा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 862/2021 धारा 386/506/170 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 493000/- रूपये नगद
2. 02 एटीएम कार्ड अलग-2 बैंकों के
3. एक फर्जी पुलिस पहचान पत्र
4. 01 क्रेडिट कार्ड
5. 02 मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी के टच स्क्रीन



2-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, मदरसन कम्पनी में कॉपर तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कम्पनी में कार्यरत 01 कर्मचारी व कम्पनी की सिक्योरिटी में कार्यरत जी-4 सिक्योरिटी के 02 गार्ड गिरफ्तार, कब्जे से 69 किलोग्राम कॉपर (कीमत लगभग 2 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 15.07.2021 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा मदरसन कम्पनी में कॉपर तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये कम्पनी में कार्यरत 01 कर्मचारी प्रदीप पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी ग्राम रोतालपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज वर्तमान पता- प्रमोद का किराये का मकान ग्राम तिगरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर व कम्पनी की सिक्योरिटी में

कार्यरत जी-4 सिक्योरिटी के 02 गार्ड 1.अवनीश कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम मलूकपुर थाना बडौत जिला बागपत 2. सत्यस्वरूप सिंह पुत्र राम कुंवर सिंह निवासी ग्राम बबनियावा थाना रौनाही जिला फैजाबाद को बिजली घर के पास सेक्टर-60 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण:

वादी रजनीकान्त शर्मा एरिया इंचार्ज G4S Secure solutions India P.V.T. LTD ने दिनांक 14.07.2021 को थाना सेक्टर 58 पर सूचना अंकित करायी कि दिनांक 02/07/2021 की रात्रि में मदरसन कम्पनी के चार स्पूल वायर चोरी हो गयी है जिसके सम्बन्ध में जाँच की गई तो पाया गया कि सिक्योरिटी जी-4 के सुपरवाइजर अवनीश एवं हेड गार्ड सत्यस्वरूप सिंह ने मिलकर कम्पनी से चोरी किया है जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर 58 पर पर मु0अ0सं0-627/2021 धारा 381 भादवि पंजीकृत किया गया जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस द्वारा तीनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.अवनीश कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम मलूकपुर थाना बडौत जिला बागपत वर्तमान मकान छिजारसी निकट बिलाल मस्जिद सेक्टर 63 नोएडा सुपरवाइजर मदरसन कम्पनी सेक्टर-60 नोएडा
2. त्यस्वरूप सिंह पुत्र राम कुँवर सिंह नि0 ग्रा0 बबनियावा थाना रौनाही जिला फैजाबाद वर्तमान पता- वेद प्रकाश शर्मा का किराये का मकान सुरभि अस्पताल के पास ग्राम मोरना थाना सेक्टर-24 नोएडा कार्यस्थल गार्ड मदरसन कम्पनी सेक्टर-60 नोएडा
3. दीप पुत्र चन्द्र प्रकाश नि0 ग्राम रोतालपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज वर्तमान पता- प्रमोद का किराये का मकान ग्राम तिगरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर कार्यस्थल- फोरक लिफ्ट ड्राईवर मदरसन कम्पनी सेक्टर 60 नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-627/20 धारा-381, 411, 34 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

तीन कट्टो में कॉपर तार बजन करीब 69 किलो ग्राम(कीमत लगभग 02 लाख रूपये)



3- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा 01 बालअपचारी सहित 03 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 06 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।

दिनांक 16.07.2021 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी सहित 03 लुटेरे अभियुक्तों 1-शाहिल पुत्र जियाउद्दीन निवासी म0नं0-829 बी ब्लॉक गली नं0-11 श्रीराम कालोनी खजूरीखास थाना खजूरीखास दिल्ली 2. वसीम पुत्र बशीर निवासी म0नं0-851 श्रीराम कालोनी खजूरीखास थाना खजूरीखास दिल्ली व 01 बाल अपचारी अभियुक्त को मदर डेयरी चौराहा सेक्टर 12 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से आइफोन सहित 06 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

1-शाहिल पुत्र जियाउद्दीन निवासी म0नं0-829 बी ब्लॉक गली नं0-11 श्रीराम कालोनी खजूरीखास थाना खजूरीखास दिल्ली

2.वसीम पुत्र बशीर निवासी म0नं0- 851 श्रीराम कालोनी खजूरीखास थाना खजूरीखास दिल्ली

3. बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त शाहिल पुत्र जियाउद्दीन

1. मु0अ0स0 710/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा
2. मु0अ0सं0 721/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा

अभियुक्त वसीम पुत्र बशीर

1. मु0अ0स0 710/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 721/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 80/21 धारा 356/379/411 भादवि थाना खजूरी खास दिल्ली

बाल अपचारी

1. मु0अ0स0 710/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 721/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक आई फोन एप्पल
2. एक मो0फोन माइक्रोमैक्स कम्पनी
3. एक मो0फोन सैमसंग
4. एक मो0फोन गोल्डन कलर टच स्क्रीन
5. एक मो0 फोन रियल-मी
6. एक मो0फोन ओप्पो
7. घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे रजि0न0 डीएल 3एस डी जे 4031

#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा घोषित भूमाफ़िया सतीश व रतन के विरुद्ध की गयी 14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के उपरान्त दिनांक 16.07.2021 को विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री उ०प्र० के आदेश के अनुपालन में गैगस्टर/माफ़ियाओं एवं अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 16/07/2021 को प्रभारी निरीक्षक जेवर व प्रभारी निरीक्षक रबूपुरा के द्वारा थाना जेवर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 452/20 धारा 2/3 गैगस्टर अधि० के अभियुक्तगण सतीश व रतन पुत्रगण बुद्ध सिंह नि०गण मौ० सल्लियान कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर की अवैध आय से अर्जित लगभग 73 लाख 68 हजार की कृषि भूमि/ आवासीय भूमि को धारा 14 (1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार के हित में कुर्की की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का विवरण :

1. सतीश पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ० सल्लियान कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त सतीश के आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु०अ०स० 305/20 धारा 447/506 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

2. मु०अ०स० 371/20 धारा 323/420/447/467/468/471/506 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

3. मु०अ०स० 681/2019 धारा 506 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

4. मु०अ०स० 237/2020 323/447/504/506 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

5. मु०अ०स० 373/2020 धारा 323/447/504/506 भादवि० थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

6. मु०अ०स० 452/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

7. मु0अ0स0476/2020 धारा 147/447/343/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0स0277/2020 धारा 447/352/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0स0 112/1995 धारा 302/307 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0स044/21 धारा 420/467/468/471/447 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0स0198/21 धारा 447 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

2. अभियुक्त का विवरण :

1. रतन पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ0 साल्लियान कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त रतन के आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0 305/20 धारा 447/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0371/20 धारा 323/420/447/467/468/471/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0681/2019 धारा 506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0237/2020 323/447/504/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0स0373/2020 धारा 323/447/504/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0स0452/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0स0476/2020 धारा 147/447/343/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0स0277/2020 धारा 447/352/506 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0स0112/1995 धारा 302/307 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0स0198/21 धारा 447 भादवि0 थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0स044/2021 धारा 420/467/468/471/447 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

